न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 06/2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्रीमती मोनी बेवा श्री सोना जाति भील निवासी खडात के कायम मुकाम–
   1.1 श्री सामिराराम पुत्र स्व. श्री मंगलाराम जाति भील निवासी खडात तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. श्री जब्बर सिंह, नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री दिनेश कुमार सुराणा, अप्रार्थी अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 17.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा खडात पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 234/1167 रकबा 0.08 बीघा एवं खसरा संख्या 1404/33 रकबा 2.00 बीघा किस्म बारानी–2 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश क्रमांक/राजस्व/अन्त्योदय/78/एस.पी.–2 दिनांक 29.08.1978 द्वारा अप्रार्थी संख्या एक मोनी बेवा श्री सोना जाति भील निवासी खडात पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण दिनांक 06.09.1978 को तहसीलदार आबूरोड द्वारा अप्रार्थी संख्या एक मोनी बेवा श्री सोना जाति भील के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) [illegible] के तहत पेश किया। अप्रार्थी संख्या एक मोनी बेवा श्री सोना जाति भील की फौत[illegible] के वारिसानों को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी का प्रार्थ[illegible] रजिस्टर [illegible] जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी संख्या एक के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:15:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 234/1167 रकबा 0.08 बीघा एवं खसरा संख्या 1404/33 रकबा 2.00 बीघा किस्म बारानी–2 भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या एक मोनी बेवा श्री सोना जाति भील को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है। आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है। अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या एक के वारिसान 1.1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी मौजा खडात के खसरा संख्या 234/1167 रकबा 0.08 बीघा किस्म बारानी–2 एवं खसरा संख्या 1404/33 रकबा 2.00 बीघा किस्म बारानी–2 भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या एक मोनी बेवा श्री सोना जाति भील के हक में किया जाकर कब्जा सुपूर्द किया, जिस पर कब्जा काश्त आवंटन की दिनांक से लगातार शांतिपूर्वक मोनी की मृत्यु होने तक चला आ रहा है और मोनी की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी सामिराराम वगैराह का कब्जा उक्त कृषि भूमि पर चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नियमानुसार की जाती रही है। अप्रार्थिया श्रीमती मोनी प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदार कृषक विधि में बन चुकी है, जिससे मृतक मोनी के विरूद्ध यह आवेदन विधि में परिपोषणीय नहीं है एवं काबिल खारिज है। अप्रार्थी ने प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर खेती की है। प्रश्नगत कृषि भूमि बरसाती कृषि भूमि है, जिससे प्रश्नगत कृषि भूमि पर बरसाती खेती किया जाना ही सम्भव है और अकाल पडने के समय या बारिश की कमी के कारण बरसात की ऋतु में भी कई प्रश्नगत कृषि भूमि पर खेती किया जाना सम्भव नहीं होता है। अप्रार्थी को प्रश्नगत कृषि भूमि आवंटन हुए करीब 45 वर्ष हो चुके है और कृषि भूमि के आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटित कृषि भूमि का खातेदार कृषक आंवटी स्वतः ही विधि में हो जाता है, जिससे अप्रार्थी एवं उसके उत्तराधिकारी भी प्रश्नगत कृषि भूमि के विधि में खातेदार कृषक है। प्रार्थी ने करीब 45 वर्ष बाद कृषि भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है, जो अत्यधिक देरी से प्रस्तुत होने से म्याद बाहर एवं काबिल खारिज है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि कृषि भूमि आंवटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश कमांक/राजस्व/अन्त्योदय/78/एस.डी.-2 दिनांक 29.08.1978 के द्वारा अप्रार्थी संख्या एक मोनी बेवा श्री सोना जाति भील निवासी खडात पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा संख्या 234/1167 रकबा 0.08 बीघा एवं खसरा संख्या 1404/33 रकबा 2.00 बीघा किस्म बारानी-2 कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है, जिसकी पालना में आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया जाकर नामान्तरकरण दिनांक 06.09.1978 को तहसीलदार आबूरोड द्वारा आवंटित भूमि राजस्व रेकर्ड में आंवटी श्री अचला पुत्र श्री चौपा भांवी के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:15:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं किया है एवं आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है। जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आंवटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त आंवटन के समय से चला आ रहा है। अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर लगातार काश्त की जा रही है एवं मौके पर आज भी काबिज काश्त है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से आवंटन शर्तों का उल्लघंन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2069 से सवंत 2072 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा आंवटित भूमि पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई फसल बौने का काश्त किया जाना नहीं पाया जाता है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर लगातार काश्त की जा रही हो। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के समय से किसी भी प्रकार की कोई काश्त नहीं की है। चूंकि नियम 14 (3) के तहत अप्रार्थी प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी। उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर लगातार कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06.2016 के अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की जा रही है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से लगातार कब्जा कर काश्त की जा रही है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2069 से 2072 में भी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर किसी भी प्रकार की फसल बौने का अंकन नहीं है। अतः अप्रार्थी अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से लगातार काश्त की जा रही है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत नही होगा। जहां तक उक्त प्रार्थना पत्र का देरीना प्रस्तुत किए जाने का कथन है, अप्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन सही है, परन्तु अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से कब्जा कर काश्त नहीं किया गया है, जबकि अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निर्धारित शर्तों के अधीन था, जिसमें आंवटी को प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी, परन्तु अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन के समय काश्त नहीं किया जाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर देरी से प्रस्तुत किए जाने की अवधि को न्यायहित में क[illegible] जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उप[illegible] दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक दृष्टांत राजस्व मण्डल राजस्थान अ[illegible]बाई बनाम भगवतीलाल में पारित निर्णय 11.08.2005, अपील संख्या 21/2002 [illegible]खिलाडी बनाम दौलतराम, अपील संख्या 47/96 शंकरलाल बनाम राज्य सरकार, अपील संख्या 119/2000 बदरीबाई बनाम राजाराम एवं अपील संख्या 4710/2014 पानी उर्फ पांची बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खडात पटवार मण्डल आमथला, तहसील

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:15:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 234/1167 रकबा 0.08 बीघा एवं खसरा संख्या 1404/33 रकबा 2.00 बीघा किस्म बारानी–2 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश कमांक/राजस्व/अन्त्योदय/78/एस.पी.–2 दिनांक 29.08.1978 द्वारा श्रीमती मोनी बेवा श्री सोना जाति भील निवासी खडात पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड (वर्तमान देलदर) जिला सिरोही को आवंटन की गई थी, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:15:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner